हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के लिए आज जारी अधिसूचना के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। पहले दिन हरियाणा से 7 विधानसभा क्षेत्रों से 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से एक नामांकन पत्र, कोसली विधानसभा क्षेत्र से एक, बेरी विधानसभा क्षेत्र से एक, नलवा विधानसभा क्षेत्र से एक, राई विधानसभा क्षेत्र से एक, खरखौदा विधानसभा क्षेत्र से एक और सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से 4 नामांकन भरे गए हैं।

उन्होंने बताया कि 28 और 29 सितंबर यानी शनिवार और रविवार के दिन तथा 2 अक्तबूर, 2019 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे।

क्रमांक- 2019

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 28 और 29 सितंबर यानी शनिवार और रविवार के दिन नामांकन पत्र नहीं भरे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने जिलों में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना और कानून एवं व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

ये निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में दिए गए।

श्री अनुराग अग्रवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि 24 सितंबर, 2019 तक प्राप्त वोट बनवाने के आवेदनों की प्रक्रिया को पूरा करें और जल्द से जल्द वोट बना कर एपिक कार्ड का वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने क्रिटिकल व वनरेबल मतदान केंद्रों की सूची फाइनल कर जल्द रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को कोई प्रत्याशी या दल किसी तरह का प्रलोभन देकर वोट डलवाने का प्रयास न कर पाए। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अधिकारी फील्ड में जाकर ऐसे क्षेत्र व बूथ की पहचान करें जो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव की श्रेणी में आते हैं।

श्री अनुराग अग्रवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान यू-ट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसे चैनल या वीडियो हैं जो किसी प्रत्याशी या राजनैतिक दल का समर्थन करते हां या जाति, धर्म विशेष के पक्ष में या

कोई भ्रामक सामग्री दर्शाते हो या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हों तो उस स्थिति में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अभी तक बैलेट युनिट, कंट्रोल युनिट और वीवीपैट मशीनों की फस्ट लेवल चैकिंग (एफएलसी) नहीं हुई है, वे जल्द एफएलसी की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें।

बैठक में एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर श्री नवदीप सिंह विर्क ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे नाकाबंदी पर पुख्ता चौकसी रखें और लाइसेंस हथियारों को जमा करने में और तेजी लाएं। इसके साथ ही, शराब व नगद राशि की मुवमेंट पर नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों के पड़ोसी राज्यों की सीमाएं लगती हैं, वे उस राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें और सीमाओं पर नाकाबंदी की जाए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री डी. के. बेहरा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत व श्री अपूर्व उपस्थित थे।

क्रमांक- 2019

हरियाणा में 3 करोड़ से ज्यादा की शराब, मादक पदार्थ और नकद राशि की गई जब्त

चंडीगढ़, 27 सितंबर- हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के दौरान राज्य में पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा अब तक 3 करोड़ 31 लाख 90 हजार 462 रुपये की शराब, नकद राशि और मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं।

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा अब तक 19157 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 30 लाख 24 हजार 314 रुपये है। आबकारी विभाग द्वारा 6573 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 16 लाख 5 हजार 981 रुपये है। इस प्रकार आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा कुल 25730 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसकी कुल कीमत 46 लाख 30 हजार 295 रुपये है। इसके अलावा, फलाइंग स्कवॉड, स्टेटिक सर्विलेंस टीमों द्वारा मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ 53 लाख 62 हजार 702 रुपये है। पुलिस द्वारा अब तक 31 लाख 97 हजार 465 रुपये की नकद राशि पकड़ी गई है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा अब तक 78992 लाइसेंस हथियारों को जमा किया जा चुका है। इसके साथ ही पुलिस ने 44 अवैध हथियारों को भी जब्त किया है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार की कोई अशांति पैदा न हो इसलिए पुलिस द्वारा राज्य में 489 जगहों पर नाकाबंदी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्रदेशभर में 16342 बोतल देशी शराब, 7955 बोतल इंग्लिश शराब, 1097 बोतल बीयर, 81.848 कि.ग्रा. गांजा, 41.840 कि.ग्रा. पॉपी हस्क, 612 ग्राम हेरॉइन, 5.650 कि.ग्रा. अफीम, 1.925 किलोग्राम स्मैक, 15 कि.ग्रा. लाहन, 1.75 कि.ग्रा. चरस, 634 ग्राम चीटा, 1.852 कि.ग्रा. चूरापोस्त जब्त किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा 14 लाख 94 हजार रुपये के नकली नोट भी जब्त किये गए हैं।

क्रमांक- 2019

चंडीगढ़, 27 सितंबर- हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के दौरान होने वाली सभी प्रकार की चुनावी प्रक्रियाओं पर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के लिए स्टेट कंट्रोल रूम ऑफ सोशल मीडिया और मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका आज हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग अग्रवाल ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस कंट्रोल रूम से चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और यदि कहीं किसी प्रकार की कोई देरी होती है या समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। श्री अनुराग अग्रवाल ने कंट्रोल रूम का जायजा लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला मुख्यालयों से बातचीत की।

उन्होंने बताया कि आज से विभिन्न राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों या अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार अभियान में तेजी आएगी। इसलिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज और विज्ञापनों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री डी. के. बेहरा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्दर जीत व श्री अपूर्व सहित मीडिया सेंटर और कंट्रोल रूम के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

क्रमांक- 2019